न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज, जिला सिरोही

बइजलास नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

वादीगण		प्रतिवादीगण
उदयसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत व अन्य निवासीगण कैलाशनगर तहसील शिवगंज जिला सिरोही	**बनाम**	1.गंगा पत्नी भूराराम 2.फैंसीदेवी पुत्री मोतीराम 3.रमेशकुमार पुत्र मोतीराम 4.लक्ष्मी पुत्री मोतीराम 5.लीलादेवी पुत्री मोतीराम 6.शांतिदेवी पत्नी मोतीराम 7.हीरालाल पुत्र मोतीलाल जातिगण घांची निवासीगण कैलाशनगर 8.तहसीलदार शिवगंज
वादी अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल		**प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनोजकुमार खण्डेलवाल**

न्यायालय सहायक कलक्टर ... शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्यां– 45/2024

: निर्णय :

दिनांक 19.11.2025

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण की ओर से निम्न वाद–पत्र प्रस्तुत है कि सरहद मौजा कैलाशनगर। पटवार क्षेत्र कैलाश नगर 1. भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (राजस्थान) में वादीगण के स्वामित्व कब्जे की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1673 रकबा 2.5738 हैक्टयर किस्म बारानी 3 आई हुई स्थित हैं। जो भूमि वादगण के खातेदारी एवम् हक अधिकारी की हैं। उपरोक्त खातेदारी भूमि को वाद–पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। वादीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1673 रकबा 2.5738 हैक्टयर के पश्चिम दिशा तरफ प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1674 रकबा 2.9623 हैक्टयर किस्म बारानी 3 आई हुई स्थित हैं। वादीगण के कब्जे स्वामित्व की भूमि पर वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्यां एक लगाय सात ने बिना किसी हक अधिकार के रास्ते की तरफ करीब 80 फीट चौड़ाई में एवं 450 फीट लम्बाई में अवैध रूप से अतिक्रमण करके वादीगण की भूमि के अन्दर अवैध रूप से बोरवेल खुदवाया व अब मकान निर्माण करवा कर दो सीमेन्ट की ईटो से कमरे बना रहे हैं, जबकी उक्त भूमि पर वादीगण के अलावा किसी का कोई हक अधिकार नहीं हैं। वादीगण प्रतिवादीगण को भूमि का नाप करवाने का कह रहे हैं मगर प्रतिवादीगण कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं व सीमाज्ञान करवाने हेतु भी तैयार नही हैं। वादीगण दिनांक 12–12–2024 को अपनी भूमि पर खडाई कर रहे थे तो प्रतिवादीगण ने वादीगण की कब्जे स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो हटाने हेतु कहां तो प्रतिवादीगण एकराय होकर वादीगण के साथ झगडा करने पर उतारू हुए, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नही हैं। ट्यूबवेल अवैध रूप से वादीगण की भूमि में किया जाकर विद्युत विभाग से मिलावट कर विद्युत कनेक्शन भी करवा दिया हैं। जिस विद्युत सम्बन्ध की डी.पी. भी अवैध रूप से वादीगण की कब्जे खातेदारी की भूमि में लगा दी हैं जबकी उपरोक्त खातेदारी भूमि वादीगण के स्वामित्व की खातेदारी भूमि हैं। उपरोक्त भूमि वादीगण के खातेदारी की हैं जो कभी भी प्रतिवादीगण को बेचान, हस्तान्तरण की हुई नहीं हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने बाबत् कही बार निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या एक लगाय तीन द्वारा आज दिन तक वादीगण की भूमि से कब्जा नही हटाया गया हैं जिससे उपरोक्त भूमि पर गये गये प्रतिवादीगण संख्या एक लगाय सात के अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत हैं। वादीगण को न्यायालय हाजा द्वारा कब्जा दिलाये जाने के बाद इस भूमि पर वांछित प्रतिवादी संख्या एक लगाय सात द्वारा पुनः जोर जबरदस्ती से कब्जा नहीं किया जावे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा हेतू वादीगण की ओर से उक्त वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं। वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या एक लगाय सात द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के बाद राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने की आवश्यकता होने से उक्त वाद अन्तर्गत धारा 128, 129, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्ध श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं।

सहायक कलक्टर
(सिरोही)

मौजा कैलाशनगर I, पटवार क्षेत्र कैलाश नगर 1. भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (राजस्थान) में वादीगण के स्वामित्व कब्जे की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1673 रकबा 2.5738 हैक्टर किस्म बारानी 3 पर रास्ते की तरफ करीब 80 फीट चौड़ाई में एवम् 450 फीट लम्बाई में अवैध रूप से अतिक्रमण करके वादीगण की भूमि के अन्दर अवैध रूप से बोरवेल खुदवाया व अब मकान निर्माण करवा कर दो सीमेन्ट की ईटो से कमरे बनाने से प्रतिवादीगण संख्या एक लगाय सात द्वारा किये गये कब्जा/अतिक्रमण को हटाया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाये जाने की आज्ञप्ति दी जावे एवम् आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायें। साथ ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को कब्जा दिये जाने के बाद इस भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या एक लगाय सात द्वारा दुबारा कोई अतिक्रमण कर वादीगण के कब्जे कास्त मे भविष्य में दखलन्दाजी नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हुए। प्रतिवादी सं0 1, 3, 6 व 7 की और से अधिवक्ता श्री मनोज खण्डेलवान ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2, 4 व 5 के सम्मन तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 05.03.2025 को एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 23.04.2025 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाबदावा पेश किया व इसी दिन दोनों पक्षकारों ने वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को लिखा गया। दिनांक 25.06.2025 को तहसीलदार शिवगंज से सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त हुई व दिनांक 23.07.2025 को मौका फर्द पेश की जिसमें बताया गया कि वादीगण द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सिरोही के द्वारा प्रस्तुत मोमीया शीट की छायांप्रति जो दिनांक 25.05.2025 को एवं 20.05.2024 को जारी की गई थी प्रस्तुत की जिसके खसरा नं0 1673 का सीमाज्ञान सर्वप्रथम 1672 के उत्तरी पश्चिम कोने पर नापकर जरीब की सहायता से बिन्दु खसरा नं0 1676 के दक्षिणी पश्चिमी कोना व खसरा नं0 1734 के दक्षिणी पश्चिमी कोना व खसरा नं0 1698 व खसरा नं0 1702 का क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी बिन्दु से नापकर खसरा नं0 1672 के उत्तरी पश्चिम कोने पर बिन्दु कायम किया गया। तत्पश्चात इसी बिन्दु को आधार मानकर खसरा नं0 1673 के उत्तरी पश्चिम व दक्षिणी पश्चिम दोनों बिन्दुओं पर जरीब चलाकर बिन्दु कायम किये गये। इस प्रकार संपूर्ण सीमाज्ञान करने पर यह पाया गया कि खसरा नं0 1673 के खातेदारान की कृषि भूमि पर पडौसी खातेदारान जिसके खसरा नं0 1674 के खातेदारान ने अनाधिकृत रूप से कुल रकबा लगभग 0.1618 हैक्टयर पर कब्जा किया हुआ है। अर्थात 1674 के खातेदारान ने अपनी कृषि भूमि से भिन्न 1673 की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। दिनांक 29.10.2025 को उभय वकील पक्षकारान की तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अंतिम बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किये कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा कमेटी का गठन कर वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। जिसमें वादीगणों की भूमि पर प्रतिवादीगणों का अतिक्रमण किया होना साबित है। जिससे उक्त पत्रावली में तनकीयात कायमी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुए प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किये कि पत्रावली में तनकीयात कायम कर पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया व अपने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो निम्न प्रकार है–

अपील/टीए/3468/2006/बीकानेर मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य निर्णय दिनांक 29.11.2023

–: आदेश :–

हमनें पत्रावली का अवलोकन, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगणों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा कैलाशनगर–I पटवार क्षेत्र कैलाशनगर–I तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 1673 रकबा 2.5738 हैक्टयर स्थित भूमि पर तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण सीमाज्ञान करने पर यह पाया गया कि खसरा नं0 1673 के खातेदारान की कृषि भूमि पर पडौसी खातेदारान जिसके खसरा नं0 1674 के खातेदारान ने अनाधिकृत रूप से कुल रकबा लगभग 0.1618 हैक्टयर पर कब्जा किया हुआ है अर्थात 1674 के खातेदारान ने अपनी कृषि भूमि से भिन्न 1673 की भूमि पर कब्जा किया हुआ है।

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्र.सं. 45/2024
उदयसिंह वगैरह बनाम गंगा वगैरह
अ.धारा. 183,188 आर.टी.एक्ट

प्रतिवादी अधिवक्ता की और से प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान हैं, लेकिन उक्त प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं। अतः वादीगणों की भूमि पर उपतहसीलदार कैलाशनगर द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिचारित किया जाना प्रथम दृष्टया ही साबित होने से वादीगणों द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगणों को बेदखल किये जाने एवं वादीगणों को उक्त भूमि के शान्तिपूर्ण खाली कब्जा प्रदान किये जाने की डिकी प्रदान की जाती है तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय व आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 19.11.2025 को जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
दिनांक 19.11.2025

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

शिवगंज (राजस्थान)

कमांक/कोर्ट/2025/ 638
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज, जिला सिरोही

बइजलास नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

वादीगण		प्रतिवादीगण
उदयसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत व अन्य निवासीगण कैलाशनगर तहसील शिवगंज जिला सिरोही	**बनाम**	1.गंगा पत्नी भूराराम 2.फैंसीदेवी पुत्री मोतीराम 3.रमेशकुमार पुत्र मोतीराम 4.लक्ष्मी पुत्री मोतीराम 5.लीलादेवी पुत्री मोतीराम 6.शांतिदेवी पत्नी मोतीराम 7.हीरालाल पुत्र मोतीलाल जातिगण घांची निवासीगण कैलाशनगर 8.तहसीलदार शिवगंज
वादी अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल		**प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनोजकुमार खण्डेलवाल**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्यां– 45/2024

–:: आदेश ::–

दिनांक 19.11.2025

वादीगणों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा कैलाशनगर–I पटवार क्षेत्र कैलाशनगर–I तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 1673 रकबा 2.5738 हैक्टयर स्थित भूमि पर उपतहसीलदार कैलाशनगर की रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण सीमाज्ञान करने पर यह पाया गया कि खसरा नं0 1673 के खातेदारान की कृषि भूमि पर पडौसी खातेदारान जिसके खसरा नं0 1674 के खातेदारान ने अनाधिकृत रूप से कुल रकबा लगभग 0.1618 हैक्टयर पर कब्जा किया हुआ है अर्थात 1674 के खातेदारान ने अपनी कृषि भूमि से भिन्न 1673 की भूमि पर कब्जा किया साबित होने से प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी. एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी भूमि का मौके पर प्रतिवादीगणों द्वारा किये गये अतिक्रमण भूमि को खाली करवाकर वादीगणों को भूमि का कब्जा शांतिपूर्वक सुपर्द किये जाने की डिक्री प्रदान की जाती है। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे ।

यह डिगरी आज मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 19.11.2025 को जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

स्टाम्प अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर	शून्य	फिस कमिश्नर	शून्य
मुतफरीक		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बावत इजराय हुक्मनामा		मुतफरीक	
मीजान		मीजान	

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 639

दिनांक 19.11.2025

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)